पत्रांकः व0क0अधि0 / बजट / आय–व्ययक / 2018–19 / 1117 / 2019

प्रेषक,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
वाणिज्य कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

दिनांक : लखनऊः मार्च 19, 2019

विषयः–वर्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 के आय–व्ययक में आवंटन / व्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में शासन द्वारा विभिन्न मानक मदों में स्वीकृत बजट / अनुदान के सापेक्ष सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष का व्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र शासन / वित्त विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना है, इस सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निम्न रूपेण निर्देशित किया गया है :–

सादर अवगत कराना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 समाप्त हो रहा है वर्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 में शासन द्वारा विभाग के लिये विभिन्न मानक मदों स्वीकृत बजट अनुदान के सापेक्ष व्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र शासन / वित्त विभाग व महालेखाकार कार्यालय महालेखाकार इलाहाबाद को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना है। अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 के बजट सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य के समयान्तर्गत सम्पादित करने के परिप्रेक्ष्य में माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा निम्न निर्देश समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को दिया जाना उचित होगाः–

1. वित्तीय वर्ष 2018–19 के विभागीय लेखाशीर्षक 2040 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में मुख्यालय स्तर से कुल आवंटित के सापेक्ष व्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र संलग्नक विहित प्रारूप में निर्धारित तिथि से पूर्व समयान्तर्गत मुख्यालय उपलब्ध कराया जाये।
2. मानक मद 04–यात्रा व्यय एवं अन्य मानक मदों से सम्बन्धित यदि कोई देयक भुगतान हेतु लम्बित हों तो तत्काल निर्धारित प्रारूप में अतिरिक्त राशि के धनावंटन हेतु मॉग पत्र समयान्तर्गत मुख्यालय उपलब्ध करा दिये जायें।
3. व्यय की मानक मदों की ग्रुपिंग विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–बी–3–1497 / दस–2010–100(4)–ब0मैं0–टी.सी.–।। दिनांक 21.जून 2010 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत आवंटित राशि के सापेक्ष व्यय एवं बचत का विवरण पत्र भी संलग्न प्रारूप में मुख्यालय उपलब्ध कराया जाये।
4. वर्तमान में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अनुमन्य एरियर का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में कराया जाये।
5. वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय / बचत के ऑकडे वरिष्ठ सहायक लेखा / बजट एवं तत्पश्चात मुन्सरिम एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर भी भली–भॉति परीक्षणोपरान्त मुख्यालय प्रेषित किये जायें, तॉकि अन्तिम व्यय एवं बचत के ऑकडों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना न रहे। यदि किसी भी मानक मद में आवंटित राशि के सापेक्ष बचत उपलब्ध हो तो इसकी सूचना समयान्तर्गत मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जायें।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विषय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए संलग्न विहित प्रारूपों में विलम्बतम दिनांक 25.03.2019 तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय उपलब्ध कराने की कृपा करें, तॉकि शासन से प्राप्त वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष वास्तविक व्यय एवं बचत के ऑकड़ें समायान्तर्गत शासन / वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जा सके।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि वरिष्ठ सहायक, (लेखा) मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि वांछित विवरण–पत्र दिनांक 25.03.19 तक प्रस्तुत करें।

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।